# कार्यालय उपनिदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर राजस्थान

## विभागीय योजनाएः–

———————————

### 1 नस्ल सुधार कार्यक्रम :–

1,**कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** :– उन्नत नस्ल के सांड ऍव पांडो के सीमन के द्वारा गाय भैसो में कृत्रिम गर्भाधान कर नस्ल सुधार का कार्यक्रम सभी पशुचिकित्सालयो/औषधालयो/उपकेन्द्रो पर किया जाता हैं इसका शुल्क 25/लिया जाता हैं।

2, **उन्नत नस्ल के सांडऍव पांडा वितरणः**–राष्टीय गाय,भैस प्रजनन परियोजना जो कि राजस्थान पशुधन विकास वोर्ड के माध्यम से राज्य में सेचालित हैं का उद्देश्य समस्त प्रजनन योग्य गाय ऍव भैसो को कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा पशुपालको को उनके द्वार तक उपलब्ध कराना हैं।

प्रजजन नीति के अनुसार प्रजजन योग्य मुख्य–मुख्य नस्लो के उन्नत सांड उनके प्रजनन क्षैत्र के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

पशुप्रजनन हेतू सांड मुख्यतया ग्राम पंचायतो /दुग्ध समितियो द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/प्रगतिशील पशुपालको को जिले के सहायकनिदेशक पशुधन विकास की अभिशंसा पर स्वीकृत किये जाते हैं।

3, सांड प्राप्त करने हेतू आवेदन पत्र के साथ त्ण्स्ण्क्ण्ठण्को प्रतिसांड रुपये 3000/ आरक्षित राशि जमा करानी होगी, यदि सांड कुम्हेर फार्म पर उपलब्ध हैं तो रुपये 3000/ प्रतिसांड सहायक निदेशक पशुप्रजनन केन्द्र कुम्हेर के कार्यालय में जमा करने होगें।यदि सांड उपलब्ध नही हैं तो R.L.D.B. द्वारा हरियाणा से सांड खरीदने हेतू सांड का वास्तविक मुल्य ऍव 3 वर्ष का बीमा जिला स्तर पर बनी कृय समिति के माध्यम से अधिकतम रुपये 15000/प्रतिसांड का भुगतान किया जावेगा शेष राशि आने जाने का भाडा प्शुपालक द्वारा वहन किया जावेगा कुम्हेर फार्म से प्राप्त सांड की उम्र 18माह होगी जबकि हरियाणा से कय किये गये भैसा सांड की उम्र 24 माह से 30 माह तक होगी इस प्रकार त्ण्स्ण्क्ण्ठण द्वारा मात्र रु03000/राशि जमा कराकर रु015000/तक का अनुदान दिया जाता हैं।

4, **पात्रताः**– जिस क्षैत्र में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नही हो उसी जगह सांड वितरण किया जाता हैं पाडा सांड डेयरी या पंचायत अथव प्रगति शील प्शुपालको को ही दिया जाता हैं। जो निर्धारित नियमो ऍव शर्तो को पूरा करते हैं ऍव बोण्ड पर इकरार नामा भी देना पडता हैं।

### 2, पशुओ के सकामक रोग ऍव टीकाकरण कार्यक्रम :–

| रोग | मुख्य लक्षण | रोगकासमय | टीकाकरणसमय | शुल्क रु0 में |
|---|---|---|---|---|
| खुरपका–मुहपका रोग{F.M.D.] | मुह में छाले/धाव/ मुह सेलारगिरना, खुरोमें छाले/धाव, थनोपर छाले/धाव | सामान्य तयासर्दियो में | सितम्वर,अक्टूवर, मार्च,अप्रैल | 2/त्र प्रति खुराक |
| गलधोटू [H.S.] | तेजवुखर व गले में सुजन,नाक व गले से पानी गीरना, सांसलेने में परेशानी | वरसात वे वाद | मई व जून मानसून के बाद, | 1/त्र प्रति खुराक |
| लंगडा वुखार B.Q. | तेजवुखारवलगडापन, पुट्टो वपिछलेपेरो में सुजन सुजन को दवाने पर चट–चट की | वर्षात के बाद | मई व जून | 1/त्र प्रति खुराक |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | आवाज आना | | | |
| | | | | |
| | भैड / बकरी | | | |
| फडकिया [E.T.] | स्वस्थपशु सवससे पहलेप्रभावितमांसपेसीयो मेंखिचाव,फडकनउत्तेजि होकरकुदना सिरदिवाल से टकराना,लेटे–लेटे पॉव चलाना | वर्षात ऋतु में | मेमनो में अप्रैल,मई, सितम्वर व अक्टूवर वयस्क में जुलाई | 0.50पैसे प्रतिखुराक |
| भैड माता /चैचक [Sheep-pox | तेजवुखार,नाक व आख से पानी गीरना लार का वहना चेहरे,पूछ के नीचे व जॉघ पर छाले | सर्द ऋतु में | जनवरी | 0.50पैसे प्रतिखुराक |
| मूहआना [P.P.R.] | तेजवुखार,नाक व आख से पानीआनाजो बाद में मवादयुक्त हो जाता हैंस्वांश में दुर्गन्धिनिमोनिया के लक्षण मुह में छाले तथा वार वार होट चाटना | वर्षात व सर्द ऋतु में | नवम्वर से फरवरी | 1/त्र प्रति खुराक |

पशुधन में रोग का प्रकोप होने पर बचाव के उपाय

।.रोग के प्रारम्भिक लक्षण देखके ही रोगी पशुको अन्य स्वस्थ्य पशुओ से अलग स्थान पर रखे

ठ.रोगी पशुको दाना चारा व पानी की व्यवस्था अलग वर्तनो में करें।

६. रोगी पशु के उपचार हेतू पशु चिकित्सक से सम्पर्क करें।

क. पशुचिकित्सक द्वारा संक्रामक रोग होने की जानकारी देने पर रोगी पशु के उपचार के साथ साथ पशु चिकित्सक की सलाह से आस–पास के स्वस्थ्य पशुओ में टीकाकरण करावें।

म. रोग ग्रस्थ क्षैत्र में पशुओ का आवागमन/परिवहन नही करें।

थ. पशुपालक सबसे पहले स्वस्थ्य पशु का दूध निकाले तत्पश्चात रोगी पशुका दूध निकाले ऍव हाथ/बर्तनआदि को एन्टीसेफटीक घोल जैसे लाल दवा,डिटोल आदि से साफ करें।

ळ. संक्रामक रोग से मृत पशु को गॉव के वाहर करीव 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में चूने/नमक के साथ दबा दे

भ. मृत पशु के सम्पर्क में रही वस्तुओ व स्थान को भी फिनायल,लाल दबा आदि से किटाणुरहित करें।

९. पशु को वर्ष में 3 वार नियमित अन्तराल पर पशु चिकित्सक की सलाहनुसार पेट के किडे मारने की दवा ख्कृमिनाशक औषधि,जरुर पिलावे।

## कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार

कृत्रिम गर्भाधान क्या हैं।

सुरक्षित रखे गये सांड के वीर्य ख्बीज, को गर्मी से आई हुई गाय व भैस को ग्याभिन करने को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं।

**कृत्रिम गर्भाधान के लाभः–**

1, पशुपालक को सांड पालने के झंझट से मुक्ति

2, गाय के गर्मी में आने पर सांड की तलास नही करनी पडती हैं।

3, श्रेष्ठ नस्लो के सांडो के वीर्य से नस्ल सुधार
4, पैदा होने वाली सन्तानो से अधिक दुध

### कृत्रिम गर्भाधान हेतू ध्यान देने योग्य बातेः–

1, पशु सुबह गर्मी में आया हैं तो सांयकाल को और सायंकाल आया हैं तो सुवह गर्भाधान कराना चाहिये
2, गर्भधारण नही होने पर गाय/भैस 21 से 24 दिन में पूनः गर्मी में आजावेगी।
3, गर्भाधान कराने के वाद गर्भ की जॉच अवश्य करानी चाहिये।

## गाय – भैस की उन्नत नस्ले

### पशुनस्ल सुधार का आधार हैं वधियाकरण

1,पशु को जनन से अयोग्य करने को वधिय करना कहते हैं
2,नर बछडे को एक वर्ष की आयु में बधिया करते हैं

## लाभ

1,नकारा सांडो के बधियाकरण द्वारा अवांछित जनन पर रोक लगाई जा सकती हैं ताकि नाकारा बछडा/बछडी पैदा नही हो।
2,बधियाकरण द्वारा तैयार वैल अधिक क्षमता से कार्य करते हैं
3,पशुओ को बधिया करने से इनकी वृद्वि शीध्र व मांस अधिक मुलायम रहता हैं।
4, बधियाकरने से पशु शांत व आज्ञाकारी हो जाते हैं।
5, बधियाकरण से गर्दन पतली रहती हैं इससे गर्दन पर जुआ रखना आसान रहता हैं।

## गौएॅव गौपालको केलिये राजकीयअनुदानित बीमा योजना

### क कामधेनू योजनाः–

योजनान्तर्गत ऐसे पशुपालक जिनके पास प्रदेश में प्रचलित देशी एॅव संकर गौवशीय नस्लो के मादा पशु जिनकी उम्र 2 से 10 वर्ष तक की होनी चाहिये बीमा हेतू पशु की कीमत का 4प्रतिशत प्रीमियम देना होता हैं कुल प्रीमियम का25 प्रतिशत अनुदान पशुपालनविभाग द्वारा दियाजाता हैं।

## पात्रताः–

1,ऐसे पशुपालक जिनके पास प्रदेश में प्रचलित देशी एॅव शंकर नस्ल के गोवंशीय दूधारु पशु जिनकी आयु 2 से10 वर्ष तक की होनी चाहिये।
2,बीमा हेतू पशुकी कीमत का 4 प्रतिशत प्रीमियम देना होता हैं 10000/ रुपये की अनुमानित कीमत के आधार पर प्रतिवर्ष चार सौ रुपये प्रीमियम देय होगा
3, गौपालक को प्रीमियम राशि का 25 प्रतिशत अनुदान प्शुपालन विभाग द्वारा देय होगा ।
4,गौपालक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ बीमा की 75 प्रतिशत राशि जमा कराने होगी।
5, रोग एॅव दुर्धटना से बीमित गायकी मृत्यु अथवा विकलांगता पर बीमा लाभ देय

## बीमा क्लेम हेतू आवश्यक शर्तेः–

1, गौपालक को क्लेम प्राप्त करने हेतू सम्बन्धित शाखा प्रवन्धक इन्श्योरेन्स कम्पनी को पशु की आशिंक अथवा पूर्ण असमर्थता की स्थिति में 24 धन्टे की अवधि में सूचित करना होगा
2, गौपालको को 15 दिवस की अवधि में क्लेम प्राप्त करने हेतू आवेदन करना होगा
3, टैग के अभाव में बीमा क्लेम राशि देय नही होगी।

**बीमा के लाभः—**

पशु मृत्यु अथवापूर्ण विकलांगता पर 100प्रतिशत बीमा लाभ।

**ख गौपालक बीमा योजनाः—**

गौपालको को स्वंय का बीमा करवाने हेतू प्रैरित करना ताकि दुर्धटना,विकलांगता,अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हे अथवा उनके परिवार को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध हो सके तथा इस राशि के माध्यम से पशुपालक ऍव उनके परिवार का जीविकोपार्जन की सुविधा उपलब्ध करनाइस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं ।गौपालक बीमा योजना उन पशुपालको के लिये हैं जो प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय से जुडे हुऐ हैं।

**प्रीमियम ऍव अनुदान कितना देय होगा।**

1, बीमा की निर्धारित प्रीमियम की राशि रुपये 200 में से 100रुपये का भुगतान केन्द्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि की और से किया जावेगा।
2, 25रुपये पशुपालन विभाग द्वाराअनुदान के रुप में दिये जावेगें शेष 75 रुपये स्वंय गौपालक को प्रति वर्ष जमा कराने होगें।
3, इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित ''जनश्री''
योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जावेगा

## बीमा लाभः—

मृत्यु पर बीमा लाभ रुपये 30000/ दुर्धटना से मृत्यु पर रुपये75000/
दुर्धटना से पूर्ण विकलांगता पर रुपये 75000/ तथा आर्शिक विकलागंता पर रुपये 37500/
अतिरिक्त लाभः— शिक्षा हेतू अधिकतम दो बच्चो यदि वे कक्षा 9 से 12 के बीच पढते हो तो रुपये 100/प्रति बच्चा मासिक अनुदान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय होगा।

## गौरक्षक योजना

**गौरक्षक योजनाः—**

गौरक्षकयोजना का उद्देश्य पशुपालक की दुर्धटना में मृत्यु या विकलागंता की स्थिति में परिवार को बीमित राशि उपलब्ध कराया जाना हैं। प्शुपालन व्यवसाय से जुडे पशुपालक इस योजना का लाभ ले सकेगें। इस योजनान्तर्गत कुल प्रीमियम राशि रुपये 60ख बीमा राशि100000/— ,
में से 20रुपये का अनुदान पशुपालन विभाग द्वारा दिया जावेगा तथा शेष रुपये 40/ पशुपालक को प्रतिवर्ष जमा कराना होगा प्रति पशुपालक द्वारा न्यूनतम 25 हजार रुपये का बीमा कराया जा सकेगा इस योजना में 25 गौपालको का समूह होना आवश्यक हैं।

**प्रीमियम व अनुदान कितना देय होगाः—**

एक लाख रुपये का बीमा कराये जाने पर कुल प्रीमियम 60रुपये में से 20रुपये का अनुदान पशुपालन विभाग द्वारा दिया जावेगा तथा शेष 40रुपये गौपालको को प्रतिवर्ष जमा कराने होगे।

इस योजना में जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा संचालित जनता पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जावेगा।

प्रतिगौपालक द्वारा न्यूनतम 25 हजार तथा अधिकमत एक लाख रुपये का बीमा कराया जा सकता है।

**बीमा के लाभः—**

दुर्धटना से मृत्यु पर रुपये 25000/ दुर्धटना से पूर्णविकलांगता पर
25000/रुपये तथा आंशिक विकलागंता पर 12500/ रुपये का लाभ

देय होगा।

# अविका कवच योजना

## योजना क्या हैं।

1,प्रदेश की वहुमूल्य भेडो के हितार्थ उनका बीमा कराये जाने से जाखिम की पूर्ति की जा सकती हैं।

2,जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा संचालित पशुबीमा योजना केअन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त किया जा सकता हैं।

3, भेडो की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में धनराशि मिलने से भेडपालक पुनः भेड खरीद सकेगें।

## योजना की पात्रताः–

1,भेड पालक जिसके पास राज्य में प्रचलित नस्ल की कम से कम 25 भेड हो

2, भेड 1 से 9 वर्ष की उम्र की नर या मादा हो।

3, किसी अन्य राजकीय योजना अन्तर्गत भेडो का क्रयनही कियागया हो

4, अविका क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने वाले को प्राथमिकता

## प्रीमियम  तथा अनुदान कितना देय होगा।

1, भेड की कीमत का 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

2, इस प्रीमियम का 25 प्रतिशत अनुदान प्शुपालन विभाग देगा

3, प्रीमियम के 75 प्रतिशत का भुगतान भेडपालक स्वंय करेगा।

## बीमा लाभ क्या होगें।

1, रोग ऍवदुर्धटना में भेड की मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर उस की कीमत का 100 प्रतिशत पशुशव प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा लाभ 15 दिवस में देय होगा।

## भेडपालक क्या करेः–

1, अपने जिले के उप निदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करें।

2, बीमा फार्म भरवाकर पशु चिकित्सक को प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि जमा करावें।

3, अपनी भेडो के टैग लगवावे और फिर आपके जिले की मान्य बीमा कम्पनी कर देगी, आपकी भेडो का बीमा

# अविकापालजीवन रक्षक योजना

## योजना क्या हैं

1, भेडपालक की दुर्धटना विकलांगता अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हे तथा उनके परिवार को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं

2, इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित ''जनश्री'' योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जावेगा।

## योजना की पात्रताः–

1, 25 भेडपालको का समूह होना आवश्यक हैं।

2, भेड पालक जिसके पास राज्य में प्रचलित नस्ल की कम से कम 25 भेड हो ।

3, अविका क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने वाले को प्राथमिकता

## प्रीमियम ऍव अनुदान कितना देय होगाः–

1, कुल प्रीमियम200रु0 मेसे 100रु0 का भुगतान केन्द्र सरकार की सामाजिक सूरक्षा निधि की और से किया जावेगा

2, 25रु0पशुपालन विभाग की और से अनुदान केरुप में दिये जावेगें

3, शेष75रु0 प्रीमियम राशि स्वंय भेडपालक को प्रतिवर्ष जमा करानी होगी ।

**बीमा के लाभ क्या होगें:–**

1,मृत्यु पर बीमा सुरक्षा लाभ रुपये 20000/

2,दुर्धटना से मृत्यु पर रुपये 50000/

3,दुर्धटना से पूर्ण विकलांगता पर रुपये 50000/

4, आशिंक विकलांगता पर रुपये 25000/

अतिरिक्त लाभः–

शिक्षा हेतू अधिकतम दो बच्चो यदि वे कक्षा 9 से 12 के बीच पढते हो तो रुपये 100/प्रति बच्चा मासिक अनुदान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय होगा।

**भैडपालक क्या करें:–**

1,अपने जिले के उपनिदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करें।

2, बीमा फार्म भरवाकर रु075 प्रतिभेडपालक के हिसाव से,25भेडपालको कीप्रीमियम राशि पशुचिकित्सक को जमा करावे और फिर भारतीय जीवन बीमा निगम कर देगी आपका बीमा

**अविरक्षक योजना**

1, भेडपालक की दुर्धटना विकलांगता अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हे तथा उनके परिवार को बीमा क्लेम राशि उपलव्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं

2, इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित ''जनश्री''

योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जावेगा।

योजना की पात्रता:–

1, भेड पालक जिसके पास राज्य में प्रचलित नस्ल की कम से कम 25 भेड हो ।

2, अविका क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने वाले को प्राथमिकता

पीमियम व अनुदान कितना देय होगा:–

1,कुल प्रीमियम रु015/मेसेरु05/का अनुदान पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जावेगा।

2,शेषरु010/ भेडपालक को प्रतिवर्ष जमाकराने होगें।

बीमा लभ क्या होगें।

1,दुर्धटना से मृत्यु पर रुपये 25000/

2,दुर्धटना से पूर्ण विकलांगता पर रुपये 25000/

3,आशिंक विकलांगता पर रुपये 12500/

अतिरिक्त लाभः–

प्रत्येक भेडपालक द्वारा अधिकतमरु01 लाख तक का बीमा करवाने पर राज्य सरकार द्वारा कुल प्रीमियम राशि का एक तिहाई अनुदान दिया जावेगा।

भेडपालक क्या करें:–

1, अपने जिले के उप निदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय में सम्पर्क करें।

2,फार्म भरवाकररु010/ प्रतिरु025000/बीमा राशि अधिकतम रु040/

प्रति एक लाख रु0के हिसाव से प्रीमियम राशि प्शुचिकित्सक को जमा करावें, जिस पर बीमा कम्पनी कर देगी आपका बीमा।

## चारा विकास कार्यक्रम:–

1, विभाग द्वारा हरे चारे के लिये उन्नत किस्म के बीज के मिनीकिट निशुल्क व सशुल्क वितरित किये जाते हैं जो कि प्रत्येक पशु चिकित्सालय /औषधालय/उपकेन्द्रो के माध्यम से पशुपालको को वितरित किये जाते हें।

**चारे का पोष्टिकरणः–**

सूखे चारे का यूरिया विधि द्वारा पोष्टिकरण किया जाता हैं इसमे विभाग द्वारा राशिआवंटन के उपरान्त ही उक्त पोष्टिकरण का कार्य किया जाता हैंजिसके अन्तर्गत4कि.ग्रा.
यूरिया,पालीथीन,गार्डनकेन ऍव120 ∕ की दर से मजदूरी यानिकि प्रत्येक प्रदर्शन पर 500 ∕ का व्यय किया जाता हैं।

पशुचिकित्सा ऍव बांझनिवारण शिविरः– पशुपालन विभाग द्वारा जिले में दो दिवसीय पशु चिकित्सा ऍव बांझनिवारण शिविर का आयोजन उन गॉवो में किया जाता हैंजहॉ पर कि कोई पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध नही हैं। इन शिविरो में पशु चिकित्सक बांझप्शुओ का उपचार, नाकारा पशुओ का बधियाकरण निशुल्क किया जाता हैं रोग प्रतिरोधक टीके भी उपलब्ध कराये जाते हैं उक्त शिविर पर 10000 ∕ का खर्च किया जाता हैं इन शिविरो का पूर्व में प्रचार प्रसार किया जाता हैं

## पशुपालन प्रशिक्षण शिविरः–

1, प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा 2दिवसीय 4 पशुपालक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। जिसमें प्रत्येक शिविर में 50 पशुपालको को विषय विशेषज्ञो द्वारा पशुपालन के सम्वन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें 25 महिला तथा 25 पुरुषो को प्रशिक्षित किया जाता ले।। प्रत्येक पशुपालक को 50 ∕ प्रति दिन की दर से मानदेय दिया जाता हैं।

6 दिवसीय आजीविका मिशन के तहत प्रगतिशील पशुपालक प्रशिक्षण शिविर
।आजीविका मिशन के तहत जिले में 2 शिविर 6दिवसीय प्रगतिशील पशुपालक प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन किया जाता हैं। 1गाय ∕ भैस पशुपालन प्रशिक्षण शिविर में 25 प्रगतिशील पशुपालको को 6 दिवस तक विषय विशेषज्ञो द्वारा पशुपालन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं प्रत्येक पशुपालक को 70 ∕ प्रतिदिन की दर से मानदेय भत्ता दिया जाता हैं इस प्रशिक्षण के उपरान्त पशुपालक अपनी निजी डेयरी फार्म खोल सकता हैं जिसके लिये बैंक ऍव अन्य एजेन्सीयो द्वारा ऋण भी प्राप्त किया जा सकता हैं।

ठ,6दिवसीय सूअरपालन प्रशिक्षण शिविर :– जिले में इच्छुक पशुपालक को छ दिवस का सूअर पालन प्रशिक्षण शिविर दिया जाता हैं। यदि वह प्रशिक्षण के उपरान्त पिगरी फार्म खोलना चाहता हैंतो प्रशिक्षण के दोरान प्रैाजेक्ट भी तैयार कर दिया जाता हैं प्रत्येक पशुपालक को 70 प्रतिदिन के हिसाव से मानदेय भत्ता उपलब्ध कराया जाता हैं

# विभाग द्वारा वार्षिक आवंटित लक्ष्यः–

| | | |
|---|---|---|
| 1, | कृत्रिमगर्भाधान | 28000 |
| 2, | बधियाकरण | 10000 |
| 3, | बाझनिवारण शिविर | 600 |
| 4, | शीपडोजींग | 40000 |
| 5, | शीप डस्टींग | 30000 |
| 6, | स्माल एनीमल बधियाकरण | 5000 |
| 7, | अविकाकवच बीमा | 1000 |
| 8, | अविकापाल बीमा | 300 |
| 9, | अविरक्षक बीमा | 300 |
| 10, | कामधेनू | 400 |
| 11, | गोपालक | 400 |
| 12, | गौरक्षक | 500 |
| 13, | संधन बाझ निवारण शिविर | 015 |
| 14, | आजीविकामिशन छः दिवस | 002 |
| 15, | 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर | 004 |

| | | |
|---|---|---|
| 16, | एच.एस.टीकाकरण | 130,000 |
| 17, | बी.क्यू.टीकाकरण | 3000 |
| 18, | एफ.एम.डी.टीकाकरण | 6000 |
| 19, | ई.टी.वी.टीकाकण | 40000 |
| 20, | शीप पोक्स टीकाकरण | 20000 |